

21/04/2022

(4)

पत्रावली पैसा हुई। पत्रावली वर्ष 2014 में  
जवाब में विचारधीन है। अनेक अफसर  
दिये जाने पर भी आर्थिक जवाब पैसा  
नहीं हुआ है। वकील उभयपक्ष आज  
न्यायालय में हाजिर नहीं है। न्यायालय में  
पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार  
वकील उभयपक्ष को आवानें लगायी गयीं।  
बाकजुद आवानें लगायीं जाने पर भी  
न्यायालय में आयें 5:30 बजे तक  
हाजिर नहीं आयें हैं। मूल काद अंतर्गत  
0-9, R-3 CPC के अंतर्गत अद्वय हाजिरी  
व अद्वय पैरवी में खारिज हो चुका है।  
प्रार्थना-पर पत्रावली में अब आभासी  
कार्यवाही आंविद्यहीन है। अतः प्रार्थना  
पर वाकत अस्थायी निर्देशना पत्रावली  
अंतर्गत 0-9 R-3 CPC के अंतर्गत  
अद्वय हाजिरी व अद्वय पैरवी में  
एतद्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली  
पैसाला हुमाद लेकर नंबर से रकम की  
जाकर कार्रवाई दफ्तर हो। निर्णय पर  
इजलास सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर  
व न्यायालय मुद्रा से जारी किया  
गया।

सहायक कलक्टर  
सांभर लोक

